effected under the prescribed procedure only in respect of unauthorised subletting of the allotted accommdation. No complaint has been received regarding any specific case of extravagant expenditure.

Television Programme under SITE in Kerala

2661. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether the Kerala Government approached the Centre with proposal that Television programme under SITE may be started in Kerala; and

(b) if so, the decision taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) Yes Sir. In September, 1975, the State Government had made the suggestion in this behalf.

(b) On examining the technical feasibility, it was not found possible to do so. The position was explained to the then Chief Minister of the State.

जयपुर टेलीविजन केन्द्र से समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

2662. श्री लालजी भाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर टेलीविजन केन्द्र से समाचार बुलेटिनों का अब तक प्रसारण नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) जी, हां।

(ख) जयपुर ट्रांसमिटर के वर्तमान ढांचे में किसी भी कार्यक्रम को मूलरूप से प्रसारित करने की सुविधाएं नहीं हैं। यह केवल दिल्ली में पहले से रिकर्ड किये गये कार्यक्रम ही प्रसारित करता है।

राजनीतिक बंदियों के विरुद्ध मुकदमों को वापस लेना

2663. श्री भानु कुमार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक बंदियों तथा प्रतिबंधित संगठनों के व्यक्तियों पर आपातकालीन स्थिति के दौरान चलाये गये सभी मुकदमों को न्यायालयों से वापस ले लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने मुकदमें अब तक वापस नहीं लिये गये हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मुकदमे वापस न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) से (ग). राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को आर्थिक अपराधों तथा हिंसा की गतिविधियों के मामलों को छोड़ कर भा० र० आ० सु० नि० के अधीन शुरू किये गये सभी मामले, जिनमें जांच-पड़ताल अथवा विचारण हो रहा है, को वापिस लेने का परामर्श दिया है। उनसे उपर्युक्त दो श्रेणियों को छोड़ कर, भा० र० आ० सु० नि० के विभिन्न उपबन्धों के अधीन जिनको पहले सजा दे दी गई को समाप्त करने पर विचार करने का भी अनुरोध किया है। सरकार ने राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों